न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री कुसुमलता चौंहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 40/2020

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. चेना पुत्र रूपा
2. करमी पुत्र रूपा
   उम्र क्रमशः 52,57वर्ष
   जातियान मेघवाल
   निवासीयान वरेठा
   तहसील रानीवाड़ा
   जिला जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुरता पुत्र वेला जाति मेघवाल निवासी वरेठा
2. ओखी पुत्री रूपा पत्नि हीराजी जाति मेघवाल निवासी सिलासन
3. वलू पुत्री रूपा पत्नि लाला जाति मेघवाल निवासी मेड़ा
4. मृतक भूरी पुत्री रूपा पत्नि नरसी जाति मेघवाल निवासी मेड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर के कायम मुकाम वारीसान–
   4/1. रमेश पुत्र नरसी
   4/2. लसू पुत्री नरसी पत्नि देवा निवासी जालेरा
   4/3. सुश्री पंखु पुत्री नरसी
   4/4. सुश्री नालु पुत्री नरसी
   4/5. गीता पुत्री नरसी उम्र 8 वर्ष
   रमेश, पंखु, नानू, गीता नाबालिंग जरिये संरक्षक गला पुत्र तगाजी जाति मेघवाल निवासी मेड़ा तहसील रानीवाड़ा
5. कस्तुराराम पुत्र लच्छा
6. शंकरलाल पुत्र लच्छा
7. गीगाराम पुत्र लच्छा
8. श्रीमति जमनादेवी पत्नि लच्छा
9. वचनाराम पुत्र तलसा
10. पदमा पुत्र वेला
11. हकमा पुत्र वेला
12. भावा पुत्र वेला
13. छगना पुत्र वेला तमाम जातियान मेघवाल निवासीयान वरेठा तहसील रानीवाड़ा
14. तहसीलदार महोदय, रानीवाड़ा

दावा खातेदारी हको की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री अमृतलाल कटारिया।
2. प्रतिवादी संख्या 2 से 3 की ओर से [illegible]
3. प्रतिवादी संख्या 14 तहसीलदार रानीवाड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

दिनांक 18.07.2023

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 88, 188 बाबत् खातेदारी हको की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नाथा पुत्र चेना एवं रूपा पुत्र चेना जाति मेघवाल निवासी वरेठा तहसील रानीवाड़ के मूल निवासी थे। सरहद मौजा वरेठा तहसील रानीवाड़ा में स्थित आराजी पूर्व खसरा नंबर 329, 330, 332, 308 व 310 व 328 रकबा क्रमशः 20 बीघा 3 बिस्वा, 5 बीघा 4 बिस्वा, 9 बीघा 1 बिस्वा, 4 बीघा 7 बिस्सा, 9 बीघा 8 बिस्वा, 5 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा की 1/2 हिस्से पर नाथिया पुत्र चेला, रूपा पुत्र चेला का कब्जा काश्त था, नाथिया बड़ा भाई था एवं रूपा छोटा भाई था। इस कारण रूपा हमेशा ही नाथिया का आदर करता था। रिसेटलमेन्ट के दौरान उपरोक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 882 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नंबर 883 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा नंबर 888 रकबा 0.87 हेक्टेयर , खसरा नंबर 890 रकबा 1.18 हेक्टेयर, खसरा नंबर 991 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा नंबर 931 रकबा 5.31 हेक्टेयर, खसरा नंबर 939 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नंबर 940 रकबा 0.02 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 931/1271 रकबा 0.01 हेक्टेयर कायम किये गये।

नाथिया के कोई जायनदा संतान नहीं थी एवं नाथिया व उसकी पत्नि की मृत्यु पर दाह संस्कार अन्य क्रियाकर्म तापड़काण आदि तमाम रूपा द्वरा ही सम्पन्न किये गये तथा नाथा की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नि मटु की सेवा चाकरी भी रूपा के पुत्र चेना व करमी करते रहे एवं उपरोक्त आराजी पर काश्त करते रहे हैं। श्रीमती मटू स्वर्गवास दिनांक 06.11.2018 को हो चुका हैं, जिसका भी क्रियाकर्म तापड़ काण आदि वादीगण द्वारा की गई हैं। वादीगण हमेशा मटु की आज्ञा का बड़ी माता होने के कारण पालन करते थे एवं फसल का आधा हिस्सा श्रीमति मटु को देते थे, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 स्वर्गवासी रूपा की पुत्रीया हैं तथा प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/5 रूपा के मृत पुत्री भुरी के वारीसान हैं, प्रतिवादी संख्या 6 से 12 वेला के वारीसान हैं। नाथा की मृत्यु पर बाले बाले सुरता जो वेला का जायन्दा पुत्र हैं उसे नाथा का गोद पुत्र दर्शाते हुए 1/2 हिस्सा नाथा का उसके नाम राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सुरता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर दर्ज कर दिया, जबकि मौके पर सुरता का कब्जा उसके पिता वेला के हिस्से पर ही हैं तथा न पहले था तथा नाथा के कब्जे पर उसका कोई कब्जा नहीं है तथा नहीं पहले था। सुरता को नाथा के गोद लेने की कभी कोई रश्म अदा नहीं की है न ही समाज के अथवा राज में उसके गोद लेने का वैध एवं प्रभावी दस्तावेज ही बनाया गया है। नाथा की मृत्यु के समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आ चुका था। इस कारण नाथा के वारीस भी माफिक कानून वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ही बनते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 वादी बनने को तैयार न होने से उन्हें प्रतिवादी संयोजित किया हैं।

श्रीमति मटु की मृत्यु होने पर वादीगण ने उक्त आराजी को उन्नत करने के उद्देश्य से बैंक से ऋण लेने का मानस बनाया। हम इस हेतु दिनांक 02.05.2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किया एवं जमाबंदी की नकल मांगी तो पटवारी हल्का द्वारा यह बताया गया कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। जिस पर वादीगण ने रानीवाड़ा व भीनमाल जाकर राजस्व रेकर्ड की नकले निकाली तो जानकारी मिली कि प्रतिवादी संख्या 1 को गलत तौर पर नाथा का गोद [illegible] हुए म्युटेशन भरा जाकर स्वीकार किया जा चुका है, जबकि कोई गोद की रश्म उसके [illegible] एवं माता के जीवनकाल में नहीं हुई, जबकि वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्वर्गीय नाथा एवं मटु के निकटतम वारीसान होने की वजह से उनकी तमाम चल व अचल सम्पति उसमें निहित हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

जाती हैं। नाथा का सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी हक का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 घोषित कराने के अधिकारी हैं जिस हेतु उक्त वाद पेश है।

2. वादीगण अनुतोष यह कि वादीगण को गांव वरेठा तहसील रानीवाड़ा में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नंबर 882, 883, 888, 890, 931, 931/1271, 939, 940 कुल रकबा 7.65 हे. में 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे। वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। साथ हि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 व 5 से 13 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल बांधा या रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करे एवं न करावे न ही इसका बेचान अथवा किसी प्रकार का अन्तरण ही करे।

3. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1, 4/1 से 13 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 से 3 की ओर से ओर से इकबालिया जबाब दिया गया। व प्रतिवादी संख्या 14 राजपेरोकार द्वारा जवाब दिया गया। जिसके तथ्य इस प्रकार है कि मौजा वरेठा के पुराने खसरा नम्बर 329 ,330, 332, 308 व 328 की खातेदारी वक्त प्रथम सेटलमेन्ट मिसल बंदौबस्त अनुसार वेला वल्द अमरा, नाथीया वल्द चेला कौम भांबी सा0 देह पसामतेदार के नाम दर्ज हुई। उक्त आराजी में वादीगण के पिता का हिस्सा होने से संबंधित तथ्य वादीगण स्वंय साबित करें। शेष तथ्या वादीगण स्वयं सिद्व करें।

4. हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा के जवाब के आधार पर 3 तनकीयात कायम कर दिनांक 04.07.2022 को एक्सप्लेन की गई।

5. वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन मौजा मौजा वरेठा की सवंत 2072 से 75 खाता संख्या 17 की प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, विवादीत आराजी की सवंत 2046 से 65 की जमाबंदी की प्रति, मौजा वरेठा के नामन्तरकरण संख्या 149, 100, 238, 318 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति, विवादित आराजी की जमाबंदी सवंत 2035 से 2038, 2016 से 2019, 2026 से 2029, 2010 से 2029, 2012 से 2015, 2039 से 2043, 2021 से 2024 की प्रमाणित प्रति। मृत्यु प्रमाण पत्र मटूदेवी की प्रति जो क्रमश प्रदर्श 1 से 15 तक पेश किये गए है। व प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे के समर्थन में दस्तावेज पेश नही किये गए।

6. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य श्री चेनाराम पुत्र रूपाजी व देवाराम पुत्र वेलाजी साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर साक्ष्य करवाई गई जिनकी जिनकी मुख्य परीक्षा वादी अधिवक्ता द्वारा व प्रतिपरीक्षा प्रतिवादी अधिवक्ता नही होने से शून्य की गई। व प्रतिवादीगण की ओर साक्ष्य नहीं करवाने पर साक्ष्य बंद की गई।

7. हमने उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली का भली–भांति अध्ययन किया एवं बहस तथ्यों पर मनन किया गया। अतः तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

<u>तनकी संख्या 1</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

आया कि मौजा वरेठा की विवादीत आराजी खसरा नम्बर 882, 883, 888, 890, 931, 931/1271, 939, 940 जरिये रकबा 7.65 हेक्टयर में 1/2 हिस्सा को वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श 1 से 15 व साक्ष्य शपथ पत्र व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। जिसमें प्रदर्श 11 मौजा वरेठा की जमाबंदी सवंत 2010 से 2029 में खसरा नम्बर 329, 330, 332, 308, 310, 328

में खातेदार वेला वल्द अमरा, नाथीया वल्द चेला कौम भांबी साकिन देह ब. हि. बराबर पसायतेदार दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श 9 जमाबंदी सवंत 2016 से 2019, प्रदर्श 14 जमाबंदी संवत 2021 से 2024 में भी प्रदर्श 11 के अनुसार खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मौजा वरेठा के नामान्तरकरण संख्या 100 प्रदर्श 4 मे उक्त विवादीत आराजी के खातेदार नाथीया वल्द चेला फौत होने पर नाथीया वल्द चेला के स्थान सुरता गोद नाथीया 1/2 नाबालिक की वलिया मृ. मटू माता खूद खातेदार दर्ज किया गया व कॉलम संख्या 14 में नाथीया फौत होने से उसकी बेवा मटु ने जाती रिवाज के हिसाब से सुरता को गोद लेना बताया जिससे नामान्तरकरण सूरता के नाम का भरा गया अंकित है। व तहसीलदार भीनमाल द्वारा कैम्प वणधर में दिनांक 24.11.1978 को नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। इस प्रकार नाथीया वल्द चेला फौत होने पर सूरता गोद नाथीया नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 149 प्रदर्श 3 के अनुसार वेला वल्द अमरा फौत होने से उक्त आराजी में उनके पुत्र लछा, तलछा, पदमा, हकमा, मावा, छगना पि. वेला नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। प्रदर्श 7 उक्त विवादीत आराजी का मिलान क्षैत्रफल से पूराने खसरा नम्बर 308, 310, 328, 329, 330, 332 से नवीन खसरा नम्बर 882, 883, 888, 890, 891, 931/1271, 931, 939, 940 सृजित किये गए। द्वितीय सेटलमेंट सवंत 2046 से 2065 प्रदर्श 2 में नवसृजित खसरा नम्बर 882, 883, 888, 890, 891, 931, 931/1271, 939, 940 में खातेदार लच्छा, तलछा, पदमा, हकमा, भावा, छगना पि. चेला 1/2 सुरता गोद नाथीया 1/2 कौम भांबी मेगवंशी ब.हि. ब. नाबालिग की वली मटु माता खुद खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सवंत 2072 से 2075 प्रदर्श 1 में कस्तुराराम, शंकराराम, गीगाराम पि. लच्छा, मु. जमनादेवी पत्नि लच्छा, वचना पुत्र तलछा, पदमा, हकमा, भावा, छगना पि. वेला 1/2 सुरता गोद नाथाराम 1/2 कौम मेगवंशी ब. हि. ब. खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

इस प्रकार उक्त प्रदर्शित दस्तावेजो के आधार पर वादीगण के पिता रूपा वल्द चेना का नाम राजस्व रेकर्ड में प्रथम मिसल बंदोबस्त से लेकर आज तक राजस्व रेकर्ड में अंकित नही है। तथा वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र के तथ्यों को दोहराया गया व साक्ष्य में वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजो को प्रदशित करवाया गया।

इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों व साक्ष्यों के आधार पर वादीगण के पिता रूपा वल्द चेना का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं है। व नाथा पुत्र चेला व रूपा वल्द चेना दोनो आपस में सगे भाई हो, ऐसा कोई दस्तावेज रेकर्ड पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिती में तनकी संख्या 1 वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से उक्त तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या –2

आया कि उक्त विवादीत आराजी में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में हटाने के अधिकारी होने के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम मौजा वरेठा के नामान्तरकरण संख्या 100 प्रदर्श 4 मे उक्त विवादीत आराजी के खातेदार नाथीया वल्द चेला फौत होने पर नाथीया वल्द चेला के स्थान सुरता गोद नाथीया 1/2 नाबालिक की वलिया मृ. मटू माता खूद खातेदार दर्ज किया गया व कॉलम संख्या 14 में नाथीया फौत होने से उसकी बेवा मटु ने जाती रिवाज के हिसाब से सुरता को गोद लेना बताया जिससे नामान्तरकरण सूरता के नाम का भरा गया अंकित है। व तहसीलदार भीनमाल द्वारा दिनांक 24.11.1978 को कैम्प वणधर में नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। इस प्रकार नाथीया वल्द चेला फौत होने पर सूरता गोद नाथीया नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 100 के बाद वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज है। जिसका विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1 में किया जा चूका है। अतः यह तनकी संख्या 2 भी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata
Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या–3

आया कि वादीगण उक्त विवादीत आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 5 से 13 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी होने के संबंध में तनकी संख्या 1 व 2 में विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण के विरूद्व निर्णित होने वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 5 से 13 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी संख्या 3 भी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

–: आदेश :–

8. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद उपर्युक्त तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करने पर तनकी संख्या 1 से 3 के वादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वादीगण का वाद खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करे।

(कुसुमलता चौंहान)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान, आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. चेना पुत्र रूपा 2. करमी पुत्र रूपा उम्र क्रमशः 52,57वर्ष जातियान मेघवाल निवासीयान वरेठा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर	बनाम	1. सुरता पुत्र वेला जाति मेघवाल निवासी वरेठा 2. ओखी पुत्री रूपा पत्नि हीराजी जाति मेघवाल निवासी सिलासन 3. वलू पुत्री रूपा पत्नि लाला जाति मेघवाल निवासी मेड़ा 4. मृतक भूरी पुत्री रूपा पत्नि नरसी जाति मेघवाल निवासी मेड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर के कायम मुकाम वारीसान– 4/1. रमेश पुत्र नरसी 4/2. लसू पुत्री नरसी पत्नि देवा निवासी जालेरा 4/3. सुश्री पंखु पुत्री नरसी 4/4. सुश्री नालु पुत्री नरसी 4/5. गीता पुत्री नरसी उम्र 8 वर्ष रमेश, पंखु, नानू, गीता नाबालिंग जरिये संरक्षक गला पुत्र तगाजी जाति मेघवाल निवासी मेड़ा तहसील रानीवाड़ा 5. कस्तुराराम पुत्र लच्छा 6. शंकरलाल पुत्र लच्छा 7. गीगाराम पुत्र लच्छा 8. श्रीमति जमनादेवी पत्नि लच्छा 9. वचनाराम पुत्र तलसा 10. पदमा पुत्र वेला 11. हकमा पुत्र वेला 12. भावा पुत्र वेला 13. छगना पुत्र वेला तमाम जातियान मेघवाल निवासीयान वरेठा तहसील रानीवाड़ा 14. तहसीलदार महोदय, रानीवाड़ा

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 40/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज इनफिसाल कल [illegible] पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री अमृतलाल कटारिया उपस्थित, प्रतिवादी सं0 2 से 3 के वकील श्री जानू मेघवाल, व प्रतिवादी संख्या 14 [illegible] निव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वा[illegible]निकी संख्या 1 से 3 के विवेचनानुसार

सभी तनकीयात वादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वादीगण का वाद खारीज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18.07.2023 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौंहान)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्द्ई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	2	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested